न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —145 / 2017 अपील (RCMS/2017/00078)
पंजीयन दिनांक —20.11.2017
निर्णय दिनांक —31.12.2018

1. श्री लक्ष्मण सिंह पिता शेरसिंह रावत, निवासी उदामान का कोट, भीम तहसील भीम, जिला राजसमन्द।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्री पवनकुमार पिता श्री रोशनलाल गन्ना, निवासी भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीम जिला राजसमन्द।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री कमलेश चौहान — वकील अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीम प्रकरण संख्या 15 / 2013 दिनांक 01.06.2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 31.12.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीम प्रकरण संख्या 15 / 2013 दिनांक 01.06.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट श्री पवन कुमार द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पेश कर कथन किया कि ग्राम पटवार हल्का भीम जिला राजसमन्द की जमाबन्दी 2067—2070 के खाता संख्या 547 के खसरा संख्या 16554 / 8792 रकबा 1.03 बीघा किस्म बंजड़ उसके खरीदशुदा खातेदारी की कृषि भूमि आई है। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 16554 / 8792 की भूमि संबंधी ही विवाद है, सही सीमा जानकारी नहीं होने

से प्रार्थी एवं अप्रार्थी में लड़ाई झगड़ा रहता है, लक्ष्मण सिंह द्वारा अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए केवल मात्र आराजी नम्बर 16554/8792 की पक्की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हूँ।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक जिला कलक्टर, भीम द्वारा प्रकरण दर्ज कर उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 केम्प भीम में दिनांक 01.06.2017 को रख श्री पवनकुमार के प्रार्थना पत्र पर एकतरफा कार्यवाही करते हुए विवादित भूमि पर पत्थरगढ़ी के आदेश जारी कर निर्णय दिनांक 01.06.2017 को पारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 01.06.2017 से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेंटस् की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस दिनांक 18.12.2018 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अपीलान्ट भुतपूर्व सैनिक होकर विवादित जमीन पर उसके पिता के जीवन काल से ही काबिज है। जिलाधीश, उदयपुर के आदेश राजस्व अपील संख्या 64 सम्वत् 2008 में उक्त भूमि का कब्जा अपीलान्ट के पिता शेरा उर्फ शेरसिंह का कब्जा प्रोटेक्ट टीनेन्ट के रूप चला आ रहा था, उसके कब्जे को विधिवत कब्जा मानकर दिनांक 14.07.1952 को शेरा के विरूद्ध गोमा पुत्र दुदा रावत निवासी भीम का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया एवं शेरा के कब्जे को वेलिड माना है। हाल सेटलमेंट में नाथू पुत्र तोलाराम महाजन केसरीमल जवाहरमल पिसरान श्री बिरदीचन्द्र के नाम गलत खोतदारी दर्ज कर दी, जबकि इन्द्राज जिलाधीश, उदयपुर के आदेशानुसार की जानी थी। साबिक खसरा नम्बर 6705 हाल खसरा नम्बर 8792 और उससे बने नये खसरा नम्बर 16554/8792 व अन्य खसरान की भूमियां शेरा व शेरा के बाद उसके पुत्रगण लक्ष्मणसिंह आदि के नाम दर्ज की जानी थी। रेस्पोडेंट संख्या–1 का कब्जा उक्त भूमि पर कभी नहीं रहा, यह उसकी खरीदशुदा भूमि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन की दिनांक से पूर्व पवनकुमार द्वारा वर्ष 2010 में उक्त भूमि विक्रय कर दी, जिसकी नामान्तरकरण 4071 निर्णय दिनांक 22.12.2010 से प्रमाणित होता है। शेष भूमि अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दी जिसका नामान्तकरण 4291 दिनांक 20.02. 2012 को स्वीकृत हुआ। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा अधिपत्य होने से तत्कालीन जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा इसी भूमि के संबंध में प्रस्तुत किये गये गोमा के दावे को निरस्त करने का आदेश दिनांक 14.07.1952 को पारित किया। पवन कुमार तो मात्र उक्त भूमि में 0.00.02 दो बिस्वाशीं भूमि अर्थात 2/460 वे हिस्से का खातेदार रहा था जिसे उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं था। उक्त भूमि कृषि से अकृषि रूपान्तरित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रकरण की सुनवाई का अधिकारिता नहीं है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में यह भी बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण राजस्व केम्प में रखा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णित कर दिया। पवन कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्य हिस्सेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया व न ही उन्हे सुनवाई का अवसर दिया गया, जो उक्त प्रकरण में आवश्यक था। अन्त में विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में प्रार्थना पत्र पर निर्णय एकतरफा बहस सुनकर गुणावगुण एवं लोक अदालत अभियान की मूल भावना व स्कोप से बाहर जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ संलग्न जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश राजस्व अपील संख्या 64 सम्वत् 2008 के अनुसार उक्त भूमि का कब्जा अपीलान्ट के पिता शेरा उर्फ शेरसिंह का कब्जा प्रोटेक्ट टीनेन्ट के रूप चला आ रहा था, उसके कब्जे को विधिवत कब्जा मानकर दिनांक 14.07.1952 को शेरा के विरूद्ध गोमा पुत्र दुदा रावत निवासी भीम का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया एवं शेरा के कब्जे को वेलिड माना है। विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि हाल सेटलमेंट में नाथू पुत्र तोलाराम महाजन केसरीमल जवाहरमल पिसरान श्री बिरदीचन्द्र के नाम गलत खोतदारी दर्ज कर दी, जबकि इन्द्राज जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेशानुसार की जानी थी। साबिक खसरा नम्बर 6705 हाल खसरा नम्बर 8792 और उससे बने नये खसरा नम्बर 16554/8792 व अन्य खसरान की भूमियां शेरा व शेरा के बाद उसके पुत्रगण लक्ष्मणसिंह आदि के नाम दर्ज की जानी थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों और कानूनी बिन्दुओं पर विचार एवं विश्लेषण किया जाना प्रतीत नहीं होता है। न ही निर्णय पारित किये जाने दौरान अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और एकतरफा निर्णय पारित किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.06.2017 पूर्णतया विधि स्वरूप न होकर अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीम का निर्णय का दिनांक 01.06.2017 Bad in law होकर अपास्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर